

प्रारूप "ब"
देखिये नियम 9(3)(4) और (6)


कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू (जयपुर)
दिनांक/

क्रमां/राजस्व आ0यो0/2019/

संपरिवर्तन आदेश

श्री अमन गुप्ता पुत्र श्री सत्यनारायण गुप्ता जाति महाजन निवासी 15, चाणक्यपुरी बनीपार्क जयपुर जिला जयपुर राज0 के आवेदन-पत्र पर उनकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिये इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं:-

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पुरा पता	श्री अमन गुप्ता पुत्र श्री सत्यनारायण गुप्ता जाति महाजन निवासी 15, चाणक्यपुरी बनीपार्क जयपुर जिला जयपुर राज0
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य हैं।	नहीं।
3.	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा - (अ) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम (ब) भूमि का खसरा नम्बर और प्रत्येक खसरा नम्बर का क्षेत्रफल (स) प्रत्येक खसरा नम्बर के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल या हैक्टेयर या वर्गमीटर।	ग्राम कोटजेवर, ग्राम पंचायत झरना, तहसील मौजमाबाद खसरा नम्बर 795/504 रकबा 0.8207 हैक्टेयर, कुल किता 01 कुल रकबा 0.8207 हैक्टेयर खसरा नम्बर 795/504 रकबा 0.8207 हैक्टेयर में से 8207 वर्गमीटर इस प्रकार कुल 8207 वर्गमीटर भूमि रूपांतरित की गयी।
4.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	आवासीय योजना
5.	संदेय प्रीमियम की दर	7.50/- रुपये प्रति वर्गमीटर
6.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम	चालान संख्या जी.आर.एन नं. 27740536 दिनांक 23/01/2019 राशि 61,600/- रुपये अक्षरे इकसठ हजार छः सौ रुपये मात्र राजकोष में जमा कराई गई।
7.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो कि जमा कराई गई रकम	-
8.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, कि जमा कराई गई रकम	-
9.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिये नियम 13 के अधीन जारी किया गया है।	-
10.	अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो	ले-आउट प्लान संलग्न है।
11.	उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-	
1.	उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।	
2.	यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 साल की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपहृत हो जायेगा।	
3.	नियम-4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।	



उपखण्ड अधिकारी
दूदू

उप खण्ड अधिकारी
मौजमाबाद (जयपुर)

4.	लोकोपयोगी प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जावेगा।
5.	आवेदक को सम्पुर्णवर्तित भूमि के एक हटायें गए वृक्ष के एवज में एक वर्ष की अवधि में तीन छायादार या घने वृक्षों को लगाने की शर्त के अनुसार कुल हटायें जाने योग्य 00 पेड़ की एवज में 00 वृक्ष लगाने की शर्त पर उक्त 00 पेड़ हटाने की अनुमति दी जाती है आवेदक को वृक्ष लगाने में असफल रहने पर नहीं लगायें गये वृक्षों के लिए 500/- रूपयें प्रतिवर्ष राजस्व मद में जमा कराना होगा।
6.	राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/अन्य सड़क मार्ग जंहा से संपरिवर्तित भूमि पर पहुँच है उसके पास इण्डियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सड़क के मध्य से छोड़ी गई भूमि निःशुल्क राज्य पक्ष में समर्पित की जायेगी तथा निर्धारित सीमा तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा।
7.	राष्ट्रीय राजमार्ग से रास्ता चाहने पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग से अनुमति लेनी होगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सडकों से रास्ता चाहते है, तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
8.	आवेदित भूमि में 40 प्रतिशत क्षेत्र सुविधाओं के लिये आरक्षित रहेगा, जिस पर किसी प्रकार का निर्माण/बैचान नहीं किया जावेगा। उक्त सुविधा क्षेत्र राज्य सरकार के स्वामित्व में रहेगा।
9.	राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(6) राज-6/92 पार्ट/21 दिनांक 27/06/2007 एवं प. 6(6) राज-6 92 पार्ट/23 दिनांक 17/07/2007 के अनुसार पालना सुनिश्चित की जावेगी।
10.	आवेदित भूमि में से यदि पैट्रो उत्पाद पाईप लाईन गुजर रही हो तो राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 15/05/2008 के अनुसार पाईप लाईन के मार्गाधिकार की सीमा से 10 मीटर की परिधि में तथा डिपो स्थित हो तो डिपो सीमा से 50 मीटर की परिधि में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
11.	राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन) नियम 2007 एवं इस सम्बन्ध में जारी अन्य परिपत्र/निर्देशों की सभी शर्तें लागू होगी।
12.	संपरिवर्तित भूमि पर स्वायत्त शासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 65 (310) एसई/स्थानि/जैसाराँ/2005/12259 दिनांक 11/02/2005 में अंकित शर्तें लागू होगी।
13.	आवेदक को योजना का विकास अनुमोदित ले आउट प्लान अनुसार ही करना होगा।
14.	अनुमोदित ले-आउट प्लान में दर्शाया गया सुविधा क्षेत्र राज्य सरकार के स्वामित्व में रहेगा।
15.	विकास कर्ता को आवासीय कॉलोनी/प्रोजेक्ट के बहार की सम्पर्क सड़क तथा अन्दर की सड़के स्वयं बनानी होगी।
16.	आवासीय कॉलोनी/प्रोजेक्ट में बिजली,पानी की अन्य आधारभूत सुविधाएं स्वयं विकसित करनी होगी
17.	कुल सम्पुर्णवर्तित क्षेत्रफल का 40 प्रतिशत क्षेत्र सुविधाओं के लिए होगा जो राज्य सरकार को समर्पित करना होगा। आवेदक द्वारा संपरिवर्तित भूमि पर निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व संपरिवर्तन नियम 2007 No.F.66(26)Rev.6/2014/33 दि. 6/10/2016 के अन्तर्गत परिपत्र क्रमांक प.9(19)राज-6/2018/03 दिनांक 29/05/2018 नियम 9 (2) तथा प्रपत्र जी के क्रम संख्या 4 के तहत ले आउट प्लान/बिल्डिंग प्लान का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजक से प्राप्त करना होगा।
18.	आवासीय कॉलोनी/प्रोजेक्ट की चार दिवारी बनवानी होगी तथा पार्कों का विकास करना होगा।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
दूह (जयपुर)

क्रमांक/राजस्व-आ0यो0/2019/301-304
प्रतिलिपी- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक/11/02/2019


1. श्रीमान् जिला कलक्टर, जयपुर जिला जयपुर।
2. तहसीलदार मौजमाबाद, जिला जयपुर को भेजकर लेख है कि श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय जयपुर के पत्र क्रमांक/आर-1() भू.रू./17/2133 दिनांक 27/03/2017 के अनुसार आवासीय योजनाओं के लिये छोडा गया 40 प्रतिशत क्षेत्र राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित करवाया जाकर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करें।
3. पटवारी हल्का झरना, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।
4. श्री अमन गुप्ता पुत्र श्री सत्यनारायण गुप्ता जाति महाजन निवासी 15, चाणक्यपुरी बनीपार्क जयपुर जिला जयपुर राज0
5. आदेश/गार्ड पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
दूह (जयपुर)



PROPOSED LAY OUT PLAN OF "GREEN VIHAR"

IN KHASRA NO. - 795/504
AT VILLAGE - KOTJEWAR, TEH.- MOJMABAAD, JAIPUR.



आवेदक द्वारा निम्न शर्तों की पाबली सुनिश्चित की जाएगी।

1. उक्त ले आउट प्लान संपर्किर्तन आदेश क्रमांक / 300 दिनांक 11/2/2019 का पाठ होगा।
2. राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प6(6)राज-6/92 पाठ 21 दि 27.06.07 एवं परिपत्र क्रमांक प6(6)राज-6/92 पाठ 29 दि 08.10.07 के प्राकानों की पाबली सुनिश्चित की जाएगी।
3. भूमि को एप्रोच रोड की उपलब्धता एवं स्वतः के आस पास आर पूर्व में अनुमोदित योजना स्थित है। तो योजना क्षेत्र की सड़कों की निरन्तरता विद्यमान सड़कों एवं योजनाओं से रहेगी यह सुनिश्चित किया जावेगा।
4. योजना के भूखण्डों पर सेटबैक एवं अन्य भवन निर्माण के परामीटर निकटतम नगरपालिका के विनियमों के प्राकानों के नियमानुसार होंगे।
5. योजना में आधारभूत सुविधाएँ जैसे सड़क, नाली निर्माण, पार्कों का विकास, लाईट-पावर आदि का विकास आवेदक को स्वयं के खर्च पर विकसित करने होंगे।
6. आई.आर.सी. प्रभावित/सम्बन्धित भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकता। योजना में दर्शाये गये सुविधा क्षेत्र राज्य सरकार के स्वामित्व में रहेंगे।
7. योजना में नियमानुसार वाटर हार्वीस्टिंग के प्राकान लागू होंगे।
8. आवेदक द्वारा संपर्किर्तन भूमि पर निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व संपर्किर्तन नियम 2007 No.F.6(26)Rev.6/2014/33 दि 06.10.2016 के अन्तर्गत परिपत्र क्रमांक प9(19) राज-6/2018/03 दि 29.05.2018 नियम 9(2) तथा प्रपत्र G के क्रम सं 4 के तहत ले-आउट प्लान/बिल्डिंग प्लान का तकनीकी अनुमोदन नगर निवेशक से प्राप्त करना होगा।

उपखण्ड अधिकारी
दूर


खसरा मानचित्र

खसरा नं. :- 795/504

क्षेत्रफल :- 0.8207 HECT.

खातेदार का नाम :-

खसरा मानचित्र:-



योजना का नाम :-
"GREEN VIHAR"

AREA ANALYSIS :-

S.No.	LAND USED	AREA IN (SQ.YDS.)	(%)
1	RESIDENTIAL	4225.95	43.05 %
2	PARK	491.92	05.01 %
3	ROAD	5097.70	51.94 %
SCHEME AREA		9815.57	100.00 %
		8207.00 SQ.MTR.	

योजना सीमा :-

योजना कोणविन्दु :- (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)

दैमाना :-
1" = 50' FEET

दिशा सुचक



आवेदन :- जिलाधीश जयपुर

Consultant :-



श्रीमान् श्री
प्रस्तुत ले आउट प्लान की सीमाएँ
मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड खसरा नम्बरा एवं
मौके अनुसार सुसंगत है।
दिनांक 25/01/2019

तहसीलधर मोजमबाद
जिला-जयपुर (राज.)

तहसीलधर मोजमबाद
जिला-जयपुर (राज.)

CAD MAX CONSULTANCY PVT. LTD.
121-102, Pritam Tower,
Opp. Rajasthan Police Head Quarter,
Lal Kothi Scheme, Jaipur
Ph. 0141-413111